



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022026-270487  
CG-DL-E-25022026-270487

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138]  
No. 138]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947  
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2026

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आई.बी.वी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.138.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया)(संशोधन) विनियम, 2026 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशित की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में, उपविनियम (1) में, खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(छ) “उचित मूल्य” से यथास्थिति, कारपोरेट ऋणी का प्राक्कलित प्राप्त करने योग्य मूल्य या कारपोरेट ऋणी की आस्तियां अभिप्रेत हैं, यदि उनका दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को एक इच्छुक क्रेता और एक इच्छुक विक्रेता के

बीच किसी निष्पक्ष संव्यवहार में, समुचित विपणन के पश्चात् विनिमय किया जाना हो और जहां पक्षकारों ने जानकार, बुद्धिमानी से और विवशता के बिना कार्य किया हो।

स्पष्टीकरण – कारपोरेट ऋणी के प्राक्कलित प्राप्त करने योग्य मूल्य की संगणना कारपोरेट ऋणी की समस्त आस्तियों के कुल प्राक्कलित प्राप्त करने योग्य मूल्य को हिसाब में लेने के पश्चात् की जाएगी, जिसके अंतर्गत मूर्त और अमूर्त आस्तियां, उनकी अंतर्निहित सहक्रियाओं सहित, शामिल हैं किन्तु उन तक सीमित नहीं हैं।”

3. मूल विनियमों के विनियम 38 में, “दो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की” शब्दों के स्थान पर “रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के दो समूह की” शब्द रखे जाएंगे।

4. मूल विनियमों के विनियम 39 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य का अवधारण निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) विनियम 38 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के समूह में कारपोरेट ऋणी के प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक शामिल होगा और प्रत्येक समूह के भीतर एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक को समाधान व्यावसायिक द्वारा, समिति के परामर्श से, कारपोरेट ऋणी के उचित मूल्य की संगणना करने के लिए उस समूह के लिए समन्वयक मूल्यांकक के रूप में अभिहित किया जाएगा;

स्पष्टीकरण – खंड (क) के प्रयोजनार्थ, “आस्ति वर्ग” से कंपनी(रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) विनियम, 2017 के अधीन उपबंधित परिभाषा अभिप्रेत है;

(ख) समाधान व्यावसायिक एक ऐसी बैठक सुकर बनाएगा जिसमें रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, जिसके अंतर्गत समन्वयक मूल्यांकक भी हैं, प्राक्कलनों की संगणना करने से पूर्व, समिति के सदस्यों को, मूल्यांकन करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति को स्पष्ट करेंगे;

(ग) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, कारपोरेट ऋणी की माल-सूची और नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात्, समाधान व्यावसायिक और उनके संबंधित समूह के समन्वयक मूल्यांकक को, बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से यथा—अधिसूचित मूल्यांकन मानकों के अनुसार संगणित कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(घ) किसी समूह का समन्वयक मूल्यांकक, उस समूह के भीतर रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा यथा-संगणित आस्तियों के उचित मूल्य पर विचार करने के पश्चात्, जिसमें उनकी अंतर्निहित सहक्रियाएं भी हैं, कारपोरेट ऋणी के उचित मूल्य की संगणना करेगा और उसे समाधान व्यावसायिक को प्रस्तुत करेगा;

(ङ) समन्वयक मूल्यांककों द्वारा प्रस्तुत उचित मूल्य के दो निकटतम प्राक्कलनों के औसत को कारपोरेट ऋणी के उचित मूल्य के रूप में समझा जाएगा; और

(च) प्रत्येक आस्ति वर्ग में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा प्रस्तुत परिसमापन मूल्य के दो निकटतम प्राक्कलनों के औसत को कारपोरेट ऋणी के परिसमापन मूल्य के रूप में समझा जाएगा।

5. मूल विनियमों के विनियम 39 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1क) इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करेगा और बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित प्ररूप के अनुसार ऐसे दस्तावेज़ रखेगा।”

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./715/2025-26]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 151, तारीख 9 अप्रैल, 2021 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.071, तारीख 9 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th February, 2026

**Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) (Amendment) Regulations, 2026**

**F. No. IBBI/2025-26/GN/REG138.**—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021, namely: -

1. (1) These regulations may be called Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) (Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021, (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), in regulation 2, in sub-regulation (1), for clause (g) the following clause shall be substituted, namely:-

“(g) ‘fair value’ means the estimated realizable value of the corporate debtor or the assets of the corporate debtor, as the case may be, if they were to be exchanged on the insolvency commencement date between a willing buyer and a willing seller in an arm’s length transaction, after proper marketing, and where the parties had acted knowledgeably, prudently, and without compulsion.

*Explanation- The estimated realizable value of the corporate debtor shall be computed after taking into account the total estimated realizable value of all the assets of the corporate debtor including but not limited to tangible and intangible assets, along-with their underlying synergies.”*

3. In the principal regulations, in regulation 38, after the words ‘appoint two’ the words ‘sets of’ shall be inserted.

4. In the principal regulations, in regulation 39, for sub-regulation (1) the following shall be substituted namely:-

“(1) Fair value and liquidation value shall be determined in the following manner, namely:-

(a) the set of registered valuers appointed under regulation 38 shall comprise of one registered valuer for each asset class of the corporate debtor and within each set, one registered valuer shall be designated as the coordinating valuer for that set by the resolution professional, in consultation with the committee, for computation of the fair value of the corporate debtor;

*Explanation- For the purpose of clause (a), ‘asset class’ means the definition provided under the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017;*

(b) the resolution professional shall facilitate a meeting wherein the registered valuers, including coordinating valuers, shall explain the methodology being adopted to arrive at the valuation, to the members of the committee, before computation of estimates;

(c) each registered valuer shall, after physical verification of the inventory and fixed assets of the corporate debtor, submit to the resolution professional and the coordinating valuer of their respective set, a report on the fair value of the assets of the corporate debtor and the liquidation value, computed in accordance with such valuation standards as notified by the Board through circular;

(d) the coordinating valuer of a set shall compute the fair value of the corporate debtor after considering the fair value of the assets as computed by the registered valuers within that set, along with their underlying synergies, and submit the same to the resolution professional;

(e) the average of the two estimates of the fair value submitted by the coordinating valuers shall be considered as the fair value of the corporate debtor; and

(f) the average of the two estimates of the liquidation value submitted by registered valuers in each asset class shall be considered as the liquidation value of the corporate debtor.”

5. In the principal regulations, in regulation 39, after sub-regulation (1), the following shall be inserted, namely:-

“(1A) For the purposes of this regulation, a registered valuer shall prepare the valuation report and maintain such documentation as per the format notified by the Board through circular.”

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./715/2025-26]

**Note :** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021 were published vide notification No. IBBI/2021- 22/GN/REG071, dated 9<sup>th</sup> April, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 151 on dated 9<sup>th</sup> April, 2021.